



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

Mine Code: 38RAJ21009

संख्या : RAJ/PAL-45/LST-3

दिनांक : 29.10.2021

प्रेषित : खान एजेंट, रास-1 चूना पत्थर खान,
मेसर्स अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड,
पोस्ट-राबडियावास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) 306 709
Email- manoj.malvi@ambujacement.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **RAS I Limestone Mine** (Lease area 183.53 Hect.) situated in Pali District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 21.10.2021 by the undersigned in presence of Shri Manoj Malvi, Mine Agent.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified Mining Plan (Approved on 07.06.2018): - 1) Plantation has not been carried out on proposed location during the year 2020-21. Further no proper care & maintenance of plantation was observed.
Rule 11(4)	The modified mining plan was approved on 07.06.2018 having yearwise proposals valid up to year 2021-22. You are required to submit Review of Mining Plan for next five years to the competent authority at least 180 days before the expiry of earlier proposals, but you have not submitted Review of Mining Plan so far.
Rule 26 (2)	A yearly report to be submitted before 1 st July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitation works carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan has not been submitted to this office for the year 2020-21.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सोजत, जिला-पाली।
- 4 रक्षित पत्रावली।

श्री. ५.

भवदीय
व.रि.स. (डी.आर. गुजर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

श्री. ५.

व.रि.स. (डी.आर. गुजर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो